रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2005/आषाढ़ 10, 1927
No. 292] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2005/ASADHA 10, 1927

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 436(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 जुलाई, 2005 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के सभी उपबन्ध-प्रवृत्त होंगे ।

[अधिसूचना सं. 1/2005/फा. सं. 6/2/2005-ई.एस.]

वी. पी. अरोड़ा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION
New Delhi, the 1st July, 2005.

G.S.R. 436(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby appoints the 1st day of July, 2005, as the date on which all the provisions of the said Act shall come into force.

[Notification No. 1/2005/F.No. 6/2/2005-E.S.]

V. P. ARORA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 437(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण नियुक्त करती है । न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, एक अध्यक्ष और दो सदस्यों से मिल कर बनेगा और केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

[अधिसूचना सं. 2/2005/फा. सं. 6/2/2005-ई.एस.]

वी. पी. अरोड़ा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2005

G.S.R. 437(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby appoints an Adjudicating Authority to exercise jurisdiction, powers and authority conferred by or under the said Act. The Adjudicating Authority shall consist of a Chairperson and two Members and shall function within the Department of Revenue, Ministry of Finance of the Central Government with Headquarters at New Delhi.

[Notification No. 2/2005/F.No. 6/2/2005-E.S.]

V. P. ARORA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 438(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 6 की उपधारा (5) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की नई दिल्ली न्यायपीठ सम्पूर्ण भारत में उक्त अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगी ।

[अधिसूचना सं. 3/2005/फा. सं. 6/2/2005-ई.एस.]

वी. पी. अरोड़ा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2005

G.S.R. 438(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (5) of section 6 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby specifies that the New Delhi Bench of the Adjudicating Authority appointed under sub-section (1) of section 6 of the said Act shall exercise jurisdiction, powers and authority conferred by or under the said Act over the whole of India.

[Notification No. 3/2005/F.No. 6/2/2005-E.S.]
V. P. ARORA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 439(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और प्राधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए नई दिल्ली में अपील अधिकरण स्थापित करती है ।

[अधिसूचना सं. 4/2005/फा. सं. 6/2/2005-ई.एस.]
वी. पी. अरोड़ा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2005

G.S.R. 439(E).— In exercise of the powers conferred by section 25 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby establishes an Appellate Tribunal at New Delhi to hear appeals against the orders of the Adjudicating Authority and the authorities under the said Act.

[Notification No. 4/2005/F.No. 6/2/2005-E.S.]
V. P. ARORA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 440(अ).—केन्द्रीय सरकार धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 49 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जुलाई 2005 से वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के अधीन निदेशक, वित्तीय आसूचना एकक, भारत को उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और इसके परन्तुक, धारा 13, धारा 26 की उप-धारा (2) और धारा 50 की उप- धारा (1) के अधीन प्रदत्त अनन्य शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निदेशक के रूप में नियुक्त करती है और उक्त निदेशक, वित्तीय आसूचना एकक, भारत पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (3) तथा उप-धारा (5), धारा 39, धारा 40, धारा 41, धारा 42, धारा 48, धारा 49 की उप-धारा (2), धारा 66 और धारा 69 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का भी समवर्ती रूप से प्रयोग करेगा ।

[अधिसूचना सं. 5/2005/फा. सं. 6/2/2005-ई.एस.]

अरोड़ा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2005

G.S.R. 440(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 49 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby appoints, with effect from the 1st day of July, 2005, the Director, Financial Intelligence Unit, India, under the Ministry of Finance, Department of Revenue, as the Director to exercise the exclusive powers conferred under clause (b) of sub-section (1) of section 12 and its proviso, section 13, sub-section (2) of section 26 and sub-section (1) of section 50 of the said Act and the said Director, Financial Intelligence Unit, India, shall also concurrently exercise powers conferred by sub-section (3) and sub-section (5) of section 26, section 39, section 40, section 41, section 42, section 48, sub-section (2) of section 49, section 66 and section 69 of the afore-said Act.

[Notification No. 5/2005/F.No. 6/2/2005-E.S.]

V. P. ARORA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 441(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002(2003 का 15)की धारा 49 की उप-धारा(1)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 जुलाई 2005 से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999(1999 का 42) के अधीन उक्त तारीख से ठीक पहले निदेशक, प्रवर्तन का पद धारण करने वाले अधिकारी को, उक्त अधिनियम की धारा 5 धारा 8, धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 26 की उप-धारा(1), धारा 45, धारा 50, धारा 57, धारा 60, धारा 62 और धारा 63 के अधीन प्रदत्त अनन्य शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निदेशक के रूप में नियुक्त करती है तथा उक्त निदेशक पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (3) उप-धारा (4) और उपधारा (5), धारा 39, धारा 40, धारा 41, धारा 42, धारा 48, धारा 49, धारा 66 और धारा 69 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का भी समवर्ती रूप से प्रयोग करेगा ।

[अधिसूचना सं. 6/2005/फा. सं. 6/2/2005-ई.एस.]

वी. पी. अरोड़ा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2005

G.S.R. 441(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 49 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby appoints, with effect from the 1st day of July, 2005, the Director of Enforcement holding office immediately before the said date under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), as the Director to exercise the exclusive powers conferred under section 5, section 8, section 16, section 17, section 18, section 19, section 20, section 21, sub-section (1) of section 26, section 45, section 50, section 57, section 60, section 62 and section 63 of the said Act and the said Director shall also concurrently exercise powers conferred by sub-section (3), sub-section (4) and sub-section (5) of section 26, section 39, section 40, section 41, section 42, section 48, section 49, section 66 and section 69 of the afore-said Act.

[Notification No. 6/2005/F.No. 6/2/2005-E.S.]

V. P. ARORA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 442(अ).—केन्द्रीय सरकार, **धन-शोधन निवारण** अधिनियम, 2002 (2003 **का 15**) की धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (ठ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सामग्री के साथ संपत्ति की अनंतिम कुर्की के आदेश की प्रति, और सर्वेक्षण की बाबत सामग्री के साथ कारणों की प्रति अग्रेषित करने की रीति और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा इसके प्रतिधारण की अवधि से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ,**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सामग्री के साथ संपत्ति की अनंतिम कुर्की के आदेश की प्रति, और सर्वेक्षण की बाबत सामग्री के साथ कारणों की प्रति अग्रेषित करने की रीति और इसके प्रतिधारण की अवधि) नियम, 2005 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं,**-(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से ऐसा कोई अधिकारी अभिप्रेत है, जो उस उप निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो जिसे अधिनियम की धारा 5 के प्रयोजनों के लिए निदेशक द्वारा प्राधिकृत किया जाए ;

(ग) "प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 48 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के प्रवर्गों में से अधिसूचित कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) " अभिहित अधिकारी" से न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा नियम 4 के उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए अभिहित कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ङ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(च) अधिनियम की **धारा 5 की उपधारा** (1) के प्रयोजनों के लिए "सामग्री" से, यथास्थिति, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी के कब्जे में ऐसी कोई सामग्री अभिप्रेत है, जिसके आधार पर उसने कारण अभिलिखित किए हैं जिनके अंतर्गत निम्नलिखित है

(i) अनुसूची के भाग क के पैरा 1 और भाग ख के अधीन किसी अपराध के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 173 के अधीन मजिस्ट्रेट को अग्रेषित की गई कोई रिपोर्ट ; या

(ii) अनुसूची के भाग क के पैरा 2 के अधीन किसी अपराध के संबंध में स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन गठित **विशेष न्यायालय द्वारा** किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए फाइल की गई कोई पुलिस रिपोर्ट या कोई परिवाद ;

(छ) अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए "सामग्री" से प्राधिकारी के कब्जे में ऐसी कोई सामग्री अभिप्रेत है, जिसके आधार पर उसने कारण अभिलिखित किए हैं ;

(ज) "स्थान" से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जहां धन शोधन के अपराध करने का कार्य किया जाता है और जिसके अंतर्गत कोई अन्य स्थान भी है चाहे उसमें कोई क्रियाकलाप किया जाता है या नहीं, जिसमें ऐसा क्रियाकलाप चलाने वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि किसी प्राधिकारी को समनुदेशित उस क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले ऐसे कार्य से संबंधित उसके अभिलेखों में से कोई अभिलेख रखा जाता है या उसकी संपत्ति का कोई भाग रखा जाता है या जिसकी बाबत अन्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा किसी प्राधिकारी को प्राधिकृत किया गया है, जिसे क्रमशः अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) के अधीन क्षेत्र को समनुदेशित किया जाता है ;

(झ) " अभिलेख" के अंतर्गत पुस्तकों के प्ररूप में रखे गए या किसी कंप्यूटर या टेप या डिस्क में भंडारित अभिलेख या किसी भी प्रकार की उतारी गई सूचना चाहे सामान्य या मशीनी भाषा में अभिव्यक्त और ऐसे अन्य दस्तावेज भी हैं जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए उपयोगी हो सकेंगे

(ञ) " अनुसूची" से अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ट) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(2) उन अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है ।

(3) **न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2)के अधीन सामग्री के साथ संपत्ति की अनंतिम कुर्की के आदेश की प्रति अग्रेषित करने की रीति** -(1) यथास्थिति, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी आदेश की प्रति और सामग्री की एक अनुक्रमणिका तैयार करेगा और ऐसी अनुक्रमणिका, आदेश और सामग्री के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा । वह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसी अनुक्रमणिका, आदेश और सामग्री को अग्रेषित करते समय मुहरबंद लिफाफे में एक पत्र भी लिखेगा ।

(2) यथास्थिति, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी लिफाफे में उसे मुहरबंद करने से पूर्व इन नियमों से संलग्न प्ररूप-I में एक पावती की पर्ची रखेगा ।

(3) यथास्थिति, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी, मुहरबंद लिफाफे पर अग्रेषण का संदर्भ संख्यांक और तारीख उपदर्शित करेगा ।

(4) मुहरबंद लिफाफे पर "गोपनीय" और "केवल प्राप्त करन वाले द्वारा ही खोला जाए" चिन्हित किया जाएगा । मुहरबंद लिफाफे पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का उसके नाम सहित पूरा पता उल्लिखित किया जाएगा ।

(5) यथास्थिति, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी मुहरबंद लिफाफे को बाह्य मुहरबंद लिफाफे में रखेगा और इन नियमों से संलग्न प्ररूप-III में एक पावती पर्ची रखेगा ।

(6) बाह्य लिफाफे को मुहरबंद किया जाएगा और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का पूरा पता बाह्य मुहरबंद लिफाफे पर उल्लिखित किया जाएगा ।

(7) यथास्थिति, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी इस नियम के प्रयोजनों के लिए रजिस्टर और अन्य अभिलेख जैसे पावती पर्ची रजिस्टर, डाक रजिस्टर रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आदेश की एक प्रति और सामग्री अग्रेषित किए जाने के तुरंत पश्चात् यथाशीघ्र रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां कर दी गई हैं ।

4. **न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन सर्वेक्षण की बाबत सामग्री के साथ कारणों की प्रति अग्रेषित करने की रीति,-**(1) प्राधिकारी, सर्वेक्षण की बाबत कारणों की प्रति और सामग्री की एक अनुक्रमणिका तैयार करेगा और ऐसी अनुक्रमणिका, कारणों और ऐसी सामग्री के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा और न्याय निर्णायक प्राधिकारी को ऐसी अनुक्रमणिका, कारणों और सामग्री को अग्रेषित करते समय मुहरबंद लिफाफे में एक पत्र भी लिखेगा

(2) प्राधिकारी, लिफाफे में उसे मुहरबंद करने से पूर्व इन नियमों से संलग्न प्ररूप-II में एक पावती की पर्ची रखेगा ।

(3) प्राधिकारा, मुहरबंद लिफाफे पर अग्रेषण का संदर्भ संख्यांक और तारीख उपदर्शित करेगा।

(4) मुहरबंद लिफाफे पर "गोपनीय" और "केवल प्राप्त करने वाले द्वारा ही खोला जाए" चिन्हित किया जाएगा । मुहरबंद लिफाफे पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का उसके नाम सहित पूरा पता उल्लिखित किया जाएगा ।

(5) प्राधिकारी, मुहरबंद लिफाफे को बाह्य मुहरबंद लिफाफे में रखेगा और इन नियमों से संलग्न प्ररूप-III में एक पावती पर्ची रखेगा ।

(6) बाह्य लिफाफे को मुहरबंद किया जाएगा और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का पूरा पता बाह्य मुहरबंद लिफाफे पर उल्लिखित किया जाएगा ।

(7) प्राधिकारी इस नियम के प्रयोजनों के लिए रजिस्टर और अन्य अभिलेख जैसे पावती पर्ची रजिस्टर, डाक रजिस्टर रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सर्वेक्षण् की बाबत सामग्री के साथ कारणों की प्रति अग्रेषित किए जाने के तुरंत पश्चात् यथाशीघ्र रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां कर दी गई हैं ।

5. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा संपत्ति की अनंतिम कुर्की के आदेशों की प्रति और सामग्री तथा सर्वेक्षण की बाबत कारणों की प्रति और सामग्री की प्राप्ति की पावती, --

(1) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के कार्यालय का अभिहित अधिकारी, प्ररूप-II के साथ बाह्य मुहरबंद लिफाफे के प्राप्त होने पर, प्ररूप-II को सम्यक् रूप से भर कर तथा हस्ताक्षर करके और हस्ताक्षर के नीचे स्पष्ट रूप से अपना नाम लिखकर अग्रेषित करेगा । प्ररूप -II को, यथास्थिति, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी को अग्रेषित करने से पूर्व न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के कार्यालय की मुहर, मुहरबंद लिफाफे की प्राप्ति के टोकन के रूप में लगाई जाएगी ।

(2) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, मुहरबंद लिफाफे को खोलने पर प्ररूप -I को सम्यक् रूप से भर कर और हस्ताक्षर करके अपने हस्ताक्षर के नीचे स्पष्ट रूप से अपना नाम लिखकर अग्रेषित करेगा । प्ररूप-I को, यथास्थिति, निदेशक या प्राधिकृत प्राधिकारी या प्राधिकारी को अग्रेषित करने से पूर्व न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के कार्यालय की मुहर सामग्री के साथ संपत्ति की अनंतिम कुर्की के आदेश की प्रति और सर्वेक्षण की बाबत सामग्री के साथ कारणों की प्रति की प्राप्ति के टोकन के रूप में लगाई जाएगी ।

(3) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, इस नियम के प्रयोजनों के लिए सामग्री के साथ, यथास्थिति, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी के आदेश की प्रति की प्राप्ति के ब्यौरे दर्शित करते हुए रजिस्टर और अन्य अभिलेख जैसे पावती पर्ची रजिस्टर, डाक रजिस्टर और राजस्टर रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे आदेश और सामग्री तथा सर्वेक्षण की बाबत कारण और सामग्री के प्राप्त होने के तुरंत पश्चात् रजिस्टरों में आवश्यक प्रविष्टियां कर दी गई हैं ।

6. **न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा संपत्ति की अनंतिम कुर्की के आदेश की प्रति और सामग्री तथा सर्वेक्षण की बाबत कारणों की प्रति और सामग्री प्रतिधारित करने की अवधि,-**

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी संपत्ति की अनंतिम कुर्की के आदेश की प्रति और सामग्री तथा कारणों की प्रति तथा सामग्री को दस वर्ष की अवधि के लिए या, यदि दस वर्ष की उक्त अवधि के अवसान के पूर्व ,-

(i) अधिनियम की धारा 8 के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ हो गई है तो ऐसी कार्यवाहियों के निपटारे होने तक ; या

(ii) जहां अधिनियम की धारा 26 के अधीन अपील अधिकरण को अपील की गई है वहां अपील अधिकरण द्वारा ऐसी अपील का निपटारा किए जाने तक ; या

(iii) जहां अधिनियम की धारा 42 के अधीन उच्च न्यायालय में ऐसी कोई अपील की गई है वहां उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी अपील का निपटारा किए जाने तक ;

जो भी पश्चात्वर्ती हो, प्रतिधारित करेगा ।

7. **निर्वचन,-** यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो वह विषय केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

प्ररूप- I

[नियम 3 का उपनियम(2) देखें]

पावती पर्ची

क्रम संख्यांक.....

निदेशक /प्राधिकृत अधिकारी से .....को ..... बजे

[तारीख] [समय]

.....पृष्ठों से युक्त सामग्री के साथ अनंतिम कुर्की आदेश संख्यांक.....तारीख..... की एक प्रति प्राप्त की ।

[न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के हस्ताक्षर]

तारीख :

.....

[न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का नाम]

[कार्यालय की मुहर]

[निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी]

पता----------

प्ररूप- II

[नियम 4 का उपनियम (2) देखें]

पावती पर्ची

क्रम संख्यांक.....

.....से .....को ..... बजे

[प्राधिकारी का पदनाम जिससे प्राप्त हुआ] [तारीख] [समय]

कारणों और सामग्री से युक्त .....पृष्ठों के साथ पत्र संख्यांक ..... तारीख..... की प्रति प्राप्त की।

[न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के हस्ताक्षर]

तारीख :

.....

[न्यायनिर्णायक प्राधिकारी]

[कार्यालय की मुहर]

[प्राधिकारी]

पता----------

प्ररूप- III

(नियम 3 का उपनियम (5) और नियम 4 का उपनियम (5) देखें)

पावती पर्ची

क्रम संख्यांक.....

....से .....को.....बजे

(यथास्थिति निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी जिससे प्राप्त हुआ) [तारीख] [समय]

एक मुहरबंद लिफाफा संख्यांक.....तारीख.....प्राप्त किया ।

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी/न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के
कार्यालय के अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर

.....

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी/न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के
कार्यालय के अभिहित अधिकारी का नाम)
[कार्यालय की मुहर]

[यथास्थिति, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी]

पता----------

[अधिसूचना सं. 7/2005/फा. सं. 6/2/2004-ई.एस.]
राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2005

G.S.R. 442(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) and clause (l) of sub-section(2) of section 73 of the Prevention of Money- laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules relating to the manner of forwarding a copy of the order of provisional attachment of property along with the material, and the copy of the reasons along with the material in respect of survey, to the Adjudicating Authority and its period of retention by the Adjudicating Authority, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (the Manner of forwarding a copy of the Order of Provisional Attachment of Property along with the Material, and copy of the Reasons along with the Material in respect of Survey, to the Adjudicating Authority and its period of Retention) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires,–

(a) "Act" means the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003);

(b) "authorised officer" means any officer not below the rank of Deputy Director authorised by the Director for the purposes of section 5 of the Act;

(c) "authority" means an authority notified from among the classes of authorities specified in section 48 of the Act;

(d) "designated officer" means an officer designated by the Adjudicating Authority for the purpose of sub-rule (1) of rule 4;

(e) "Form" means forms appended to these rules;

(f) "material" for the purposes of sub-section (1) of section 5 of the Act means any material in possession of the Director or the authorised officer, as the case may be, on the basis of which he has recorded reasons including –

(i) a report forwarded to a Magistrate under section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) in relation to an offence under paragraph 1 of Part A and Part B of the Schedule; or

(ii) a police report or a complaint filed for taking cognizance of an offence by the Special Court constituted under sub-section (1) of section 36 of the

Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, 1985 (61 of 1985) in relation to an offence under paragraph 2 of Part A of the Schedule;

(g) "material" for the purposes of sub-section (1) of section 16 of the Act means any material in possession of the authority on the basis of which it has recorded reasons;

(h) "place" means a place where an act constituting the commission of the offence of money-laundering is carried on and includes any other place, whether any activity is carried on therein or not, in which the person carrying on such activity states that any of his records or any part of his property relating to such act are or is kept, falling within the limits of the area assigned to an authority or in respect of which an authority has been authorised by such other authority who is assigned the area under clause (i) or clause (ii) of sub-section (1) of section 16 of the Act respectively;

(i) "records" include the records maintained in the form of books or stored in a computer or tapes or discs or in any other electronic form or transcribed information of any type whether expressed in ordinary or machine language and such other documents as may be useful for the purposes of these rules;

(j) "Schedule" means the Schedule to the Act;

(k) "section" means a section of the Act.

(2) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. **Manner of forwarding a copy of the order of provisional attachment of property along with the material under sub-section (2) of section 5 of the Act, to the Adjudicating Authority.** – (1) The Director or the authorised officer, as the case may be, shall prepare an index of a copy of the order, and the material and sign each page of such index, order and the material and shall also write a letter while forwarding such index, order and the material to the Adjudicating Authority in a sealed envelope.

(2) The Director or the authorised officer, as the case may be, shall place an acknowledgement slip in Form-I appended to these rules inside the envelope before sealing it.

(3) The Director or the authorised officer, as the case may be, shall indicate a reference number and date of despatch on the sealed envelope.

(4) The sealed envelope shall be marked "Confidential" and "To be opened by the addressee only", the complete address of the Adjudicating Authority including his name, shall be mentioned on the sealed envelope with official seal.

(5) The Director or the authorised officer, as the case may be, shall place the sealed envelope inside an outer envelope along with an acknowledgement slip in Form-III appended to these rules.

(6) The outer envelope shall be sealed and the complete address of the Adjudicating Authority shall be mentioned on the sealed outer envelope.

(7) The Director or the authorised officer, as the case may be, shall maintain registers and other records such as acknowledgement slip register, dak register for the purposes of this rule and shall ensure that necessary entries are made in the register immediately as soon as a copy of the order along with the material are forwarded to the Adjudicating Authority.

4. **Manner of forwarding a copy of the reasons along with the material in respect of survey under sub-section (2) of section 16 of the Act, to the Adjudicating Authority.** – (1) The authority shall prepare an index of a copy of the reasons and the material in respect of survey and sign each page of such index, reasons and the material and shall also write a letter while forwarding such index, reasons and the material to the Adjudicating Authority in a sealed envelope.

(2) The authority shall place an acknowledgement slip in Form-II appended to these rules inside the envelope before sealing it.

(3) The authority shall indicate a reference number and date of despatch on the sealed envelope.

(4) The sealed envelope shall be marked "Confidential" and "To be opened by the addressee only", the complete address of the Adjudicating Authority including his name, shall be mentioned on the sealed envelope with official seal.

(5) The authority shall place the sealed envelope inside an outer envelope along with an acknowledgement slip in Form-III appended to these rules.

(6) The outer envelope shall be sealed and the complete address of the Adjudicating Authority shall be mentioned on the sealed outer envelope.

(7) The authority shall maintain registers and other records such as acknowledgement slip register, dak register for the purposes of this rule and shall ensure that necessary entries are made in the register immediately as soon as a copy of the reasons along with the material in respect of survey are forwarded to the Adjudicating Authority.

5. **Acknowledgement of receipt of a copy of the order of provisional attachment of property and the material and a copy of the reasons and the material in respect of survey by the Adjudicating Authority.-** (1) On receipt of the outer sealed envelope along with Form-II, the Adjudicating Authority or in his absence, the designated officer of the

office of Adjudicating Authority, shall forward Form-II duly filled in, signed and his name legibly written below his signature. The seal of the office of the Adjudicating Authority shall be affixed before forwarding Form-II to the Director or the authorized officer or the authority, as the case may be, as a token of receipt of the sealed envelope.

(2) The Adjudicating Authority shall, on opening of the sealed envelope, forward Form-I duly filled in, signed and his name legibly written below his signature. The seal of the office of the Adjudicating Authority shall be affixed before forwarding of Form-I to the Director or the authorized officer or the authority, as the case may be, as a token of receipt of the copy of the order of provisional attachment of property along with the material and a copy of the reasons along with the material in respect of survey.

(3) Adjudicating Authority shall maintain registers and other records such as acknowledgement slip register, dak register and register showing details of receipt of a copy of the order of the Director or the authorized officer or the authority, as the case may be, along with the material for the purposes of this rule and shall ensure that necessary entries are made in the registers immediately on receipt of such order and the material and reasons and the material in respect of survey.

6. **Period of retention of a copy of the order of provisional attachment of property and the material and a copy of the reasons and the material in respect of survey by the Adjudicating Authority.** – The Adjudicating Authority shall retain a copy of the order of provisional attachment of property and the material and a copy of the reasons and the material for a period of ten years, or, if before the expiry of the said period of ten years, –

(i) any proceedings under section 8 of the Act have been commenced, until the disposal of such proceedings; or

(ii) where an appeal has been preferred to the Appellate Tribunal under section 26 of the Act, until the disposal of such appeal by the Appellate Tribunal; or

(iii) where an appeal has been filed in the High Court under section 42 of the Act, until the disposal of such appeal by the High Court;

whichever is later.

7. **Interpretation.** – If any question arises relating to the interpretation of these rules, the matter shall be referred to the Central Government and the decision of the Central Government shall be final.

FORM-I

[See sub-rule (2) of rule 3]

ACKNOWLEDGEMENT SLIP

Serial Number .....

Received a copy of the provisional Attachment Order bearing number ..... dated ..... along with the material containing ..... pages from the Director/the authorized officer on ..... at [date]
.....
[time]

[Signature of the Adjudicating Authority]

Date :

.....
[Name of the Adjudicating Authority]

[Office seal]

To

_____
[Director or the authorised officer]

Address_____
_____
_____

FORM-II

[*See sub-rule (2) of rule 4*]

ACKNOWLEDGEMENT SLIP

Serial Number .....

Received a copy of letter No. ..... dated ..... along with the reasons and the material containing ..... pages from the ..... on ..... at .....

[designation of the authority from whom received] [date] [time]

[Signature of the Adjudicating Authority]

Date :

.....

[Name of the Adjudicating Authority]

[Office seal]

To

_____

[Authority]

Address_____

_____

_____

FORM-III

[See sub-rule (5) of rule 3 and sub-rule (5) of rule 4]

ACKNOWLEDGEMENT SLIP

Serial Number .....

Received a sealed envelope bearing No. ..... dated..... from .....
[Director or the authorized officer or the authority from whom received as the case may be]

on ..... at.....
[date] [time]

Signature of the Adjudicating Authority/designated officer of the office of Adjudicating Authority.

.....
Name of the Adjudicating Authority/designated officer of the office of Adjudicating Authority.

[Office seal)]

To

_____
[Director or the authorised officer or the authority as the case may be]
Address :_____
_____
_____

[Notification No. 7/2005/F.No. 6/2/2004-E.S.]
RAKESH SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 443(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002(2003 का 15) की धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (च) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिहृत संपत्तियों की प्राप्ति और प्रबंधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (अधिहृत संपत्तियों की प्राप्ति और प्रबंधन) नियम, 2005 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.-** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से धन-शोधन निवारण अधिनियम 2002(2003 का 15) अभिप्रेत है ;

(ख) " न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ग) " प्रशासक" से अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) " कुर्की" से अधिनियम के अध्याय 3 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश द्वारा संपत्ति का अंतरण, संपरिवर्तन, व्ययन या संचलन का प्रतिषेध अभिप्रेत है ;

(ङ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(च) " आदेश" से अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अभिप्रेत है ;

(छ) " धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(2) उन सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं ।

3. **अधिहृत संपत्ति की प्राप्ति.-** प्रशासक अधिहृत संपत्तियों की प्राप्ति के समय ऐसी संपत्ति का अधिहरण करने वाले आदेश में उल्लिखित उसकी विशिष्टियों के प्रतिनिर्देश से ऐसी संपत्ति की उचित पहचान सुनिश्चित करेगा ।

4. **अधिहृत संपत्ति का प्रबंधन.**- (1) जहां अधिहृत संपत्ति ऐसी प्रकृति की है कि कुर्की के स्थान से उसका हटाया जाना अव्यवहार्य है या उसके हटाए जाने में उस संपत्ति के मूल्य के अनुपात से अधिक व्यय अंतवर्लित है वहां प्रशासक कुर्की के स्थान पर उस संपत्ति के उचित अनुरक्षण और अभिरक्षा के लिए व्यवस्था करेगा।

(2) यदि अधिहृत संपत्ति नकदी, सरकारी या अन्य प्रतिभूतियों, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के रूप में है तो प्रशासक उनको निकटतम सरकारी खजाने या भारतीय रिवर्ज बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या उसकी समनुषंगियों या किसी प्राधिकृत बैंक की किसी शाखा में सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जमा करवाएगा ।

(3) प्रशासक नकदी, सरकारी या अन्य प्रतिभूतियों, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुओं जैसी जंगम संपत्ति की बाबत प्रविष्टियों के अभिलेखन के लिए प्ररूप 1 में ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला एक रजिस्टर रखवाएगा ।

(4) प्रशासक इस नियम के उपनियम (3) मे काथत जंगम संपत्तियों को जमा करने के बदले में, यथास्थिति, खजाने या बैंक से एक रसीद अभिप्राप्त करेगा ।

(5) प्रशासक इस नियम के उपनियम (3) में निर्दिष्ट संपत्तियों से भिन्न संपत्ति की बाबत प्रविष्टियों के अभिलेखन के लिए प्ररूप 2 में ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला एक रजिस्टर रखवाएगा ।

5. **प्रशासक को सहायता.**- केन्द्रीय सरकार, इन नियमों के अधीन उसकी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने में प्रशासक की सहायता के लिए समय-समय पर कर्मचारिवृंद के ऐसे सदस्यों और अन्य व्यक्तियों की, जैसा वह ठीक समझे, व्यवस्था कर सकेगी ।

6. **निर्वचन.**- यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो वह विषय केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

प्ररूप ।

[नियम 4 का उपनियम (3) देखिए]

अधिहृत संपत्ति (जंगम) का प्रबंधन रजिस्टर

1. आदेश सं.

2. संपत्तियों की प्राप्ति की तारीख

3. संपत्तियों का वर्णन (मात्रा, राशि,अनुमानित मूल्य)

4. अभियुक्त का/के नाम और पता/पते

5.जहां संपत्तियां सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जमा की गई हैं उस खजाने या बैंक का नाम और पता

6. खजाने या बैंक में अधिहृत संपत्तियों को जमा करने की तारीख और समय

7. खजाने या बैंक से अभिप्राप्त रसीद की तारीख सहित रसीद सं.

8. प्रशासक की टिप्पणियां

(प्रशासक के हस्ताक्षर)

प्रशासक का नाम और पदनाम

तारीख :

प्ररूप 2

[नियम 4 का उपनियम(5) देखिए)]
अधिहृत संपत्ति (स्थावर) का प्रबंधन रजिस्टर

1. आदेश सं.

2. संपत्तियों की प्राप्ति की तारीख

3. संपत्तियों का वर्णन

(भूमि की दशा में : क्षेत्र, सर्वेक्षण सं., प्लाट सं., अवस्थान और पूरा पता । भवन की दशा में :

मकान सं., अवस्थान और पूरा पता) :

4. अभियुक्त का/के नाम और पता/पते

5.प्रशासक की टिप्पणियां

तारीख :

[अधिसूचना सं. 8/2005/फा. सं. 6/2/2004-ई.एस.]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2005

G.S.R. 443(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (f) of sub-section (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules for receipt and management of confiscated properties, namely :–

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Receipt and Management of Confiscated Properties) Rules, 2005 .

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires,–

(a) "Act" means the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003);

(b) "Adjudicating Authority" means an Adjudicating Authority appointed under sub-section (1) of section 6 of the Act;

(c) "Administrator" means an officer appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 10 of the Act;

(d) "attachment" means prohibition of transfer, conversion, disposition or movement of property by an order issued under Chapter III of the Act;

(e) "Form" means forms appended to these rules;

(f) "order" means an order made by the Adjudicating Authority under sub-section (6) of section 8 of the Act;

(g) "section" means a section of the Act.

(2) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. **Receipt of confiscated property.** – The Administrator shall, at the time of receiving the confiscated properties, ensure proper identification of such property with reference to its particulars mentioned in the order confiscating such property.

4. **Management of confiscated property.** – (1) Where the property confiscated is of such a nature that its removal from the place of attachment is impracticable or its removal involves expenditure out of proportion to the value of the property, the Administrator shall arrange for the proper maintenance and custody of the property at the place of attachment.

(2) If the property confiscated consists of cash, Government or other securities, bullion, jewellery or other valuables, the Administrator shall cause to deposit them for safe custody in the nearest Government Treasury or a branch of the Reserve Bank of India or State Bank of India or its subsidiaries or of any authorized bank.

(3) The Administrator shall maintain a register containing the details in Form I for recording entries in respect of moveable property, such as cash, Government or other securities, bullion, jewellery or other valuables.

(4) The Administrator shall obtain a receipt from the Treasury or the bank, as the case may be, against the deposit of moveable properties stated in sub-rule (3) of this rule.

(5) The Administrator shall maintain a register containing the details in Form II for recording entries in respect of property other than the properties referred to in sub-rule (3) of this rule.

5. **Assistance to the Administrator.** – The Central Government may provide from time to time such members of staff and other persons as it thinks fit to assist the Administrator in exercise of his powers and performance of duties under these rules.

6. **Interpretation.** – If any question arises relating to the interpretation of these rules, the matter shall be referred to the Central Government and the decision of the Central Government shall be final.

FORM I

[See sub rule (3) of rule 4]

Management of Confiscated Property (Moveable) Register.

1. Order number :
2. Date of receipt of properties :
3. Description of properties (quantity, amount, estimated value) :